

कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा  
श्री राजेंद्र सिंह यादव, 2/150 हाउसिंग बोर्ड, गुप्तेश्वर रोड, दौसा जिला दौसा  
(राजस्थान) 303 303

बनाम  
लोक सूचना अधिकारी, (अति० जिला कलेक्टर), दौसा वगै०

अपील सं० 54/2018

निर्णय

दिनांक 12.11.2018

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी, (अति० जिला कलेक्टर), दौसा से दिनांक 23.08.2018 को सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांत को वॉछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, (अति० जिला कलेक्टर), दौसा को आवेदन पत्र की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जाँच टिप्पणी मँगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलेक्टर), दौसा द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र प्रभारी अधिकारी (सामान्य शाखा), कलक्ट्रेट, दौसा को उनके पत्रांक आरटीआई/2018/975 दिनांक 16.10.18 से वॉछित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु सूचना का अधिकारी अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत स्थानांतरित किया गया तथा उसकी सूचना आवेदक को भी पृष्ठांकित की गई। वॉछित सूचना प्राप्त नहीं होने पर इस कार्यालय द्वारा स्मरण पत्र पत्रांक डीएम/कोर्ट/2018/5388 दिनांक 30.10.18 द्वारा जारी किया गया। तत्पश्चात लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलेक्टर), दौसा के पत्रांक आरटीआई/2018/1007 दिनांक 02.11.18 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभारी अधिकारी (सामान्य शाखा), कलक्ट्रेट, दौसा द्वारा उनके पत्रांक एफ (0)सामान्य/2018/8565 दिनांक 25.09.2018 द्वारा अपीलार्थी को वॉछित सूचना के कुल 83 पृष्ठों की नियमानुसार देय राशि कैशियर के पास जमा करवाकर रसीद की प्रति पेश करने हेतु सूचित किया गया था किंतु बावजूद सूचना अपीलार्थी द्वारा देय राशि जमा नहीं करवाई गई है। पत्रादि संलग्न पत्रावली है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अपीलांत द्वारा देय शुल्क जमा नहीं करवाया गया। यदि अपीलार्थी को वॉछित सूचना की आवश्यकता हो, तो वे उपरोक्तानुसार राशि जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांत चलने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(नरेश कुमार शर्मा)  
जिला कलेक्टर, दौसा